आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Social Justice and Empowerment Department (Director, Scheduled Caste Welfare), Government of Gujarat

Tablet Assistance to SC Students (BCK-353)

गुजरात सरकार उन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये लौटाती है जिन्होंने शिक्षा विभाग से टैबलेट पाने के लिए 1,000 रुपये टोकन फीस भरी हो। इसमें आय की कोई सीमा नहीं है।

क्या मिल सकता है

1,000 रुपये की सहायता, जो उस 1,000 रुपये टोकन फीस के बराबर है जो विद्यार्थी ने टैबलेट पाने के लिए शिक्षा विभाग को दी थी।

किसके लिए है

गुजरात के अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, जिन्हें टोकन फीस देकर शिक्षा विभाग से टैबलेट मिला है।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी अनुसूचित जाति का हो।
- विद्यार्थी को 1,000 रुपये टोकन फीस भरने के बाद शिक्षा विभाग से टैबलेट मिला हो।
- इस योजना में आय की कोई सीमा नहीं है।

आवेदन कैसे करें

1. योजना के पेज के अनुसार विद्यार्थी डिजिटल गुजरात पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करता है।
2. जिला उप निदेशक (अनुसूचित जाति कल्याण) का कार्यालय योजना लागू करता है और दावे को देखता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://sje.gujarat.gov.in/dscw/schemes/2227?lang=English
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/gujarat/gj-bck-353-tablet-assistance-sc-students/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।